ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मलांगड़ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मोहिंदर चौहान	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल पठानिया	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	36.00
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.88
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.04
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय	0.72
5)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	0.48
6)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.12
7)	9.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.22

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 09.02.2024 से 14.02.2024 तक ग्राम पंचायत मलांगड़ के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	09/2021	03/2022
2022-23	04/2022	09/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129/2024 दिनांक 14/02/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मलांगड़ द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281085 दिनांक 15/02/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मलांगड़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्रोत व अनुदान (14वें वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही), 15वां वित्तायोग व मनरेगा (offline) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	1106139	3887534	4993673	2625283	2368390
1	2022-23	2368390	5644879	8013269	4413392	3599877

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मलांगड़ के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹275856/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3599877.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3324021.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	00.00
4)	**योग (2+3)**	**3324021.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**275856.00**

अंतर के कारण :- अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123/2024 दिनांक 12.02.2024 के प्रत्युतर में अपने पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत में दिनांक 13/03/23 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 41 पर आय पक्ष में

₹261600+2000+1000+3000+8256=275856/- रिधिमा टाइल्स मलांगड़, शर्मा आर्ट बंगाणा से चैक के रूप में आय (Refund) प्राप्त हुई थी, जिसे बैंक में वसूली हेतु भेजा गया, परन्तु जिसका बैंक द्वारा दिनांक 31/03/2023 तक खाते में क्रेडिट नहीं दिया गया |

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि ₹**
1	KCCB BANGANA	20034024966	503389.00
	KCCB BANGANA	50067066586	1037.00
	KCCB BANGANA	50074310855	443.00
	PNB BANGANA	6809001700019890	2819152.00
		योग	**3324021.00**
2		**हस्तगत राशि**	**00.00**
		योग (1+2)	**3324021.00**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य

में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹36.00 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**3599877/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.88 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹87720/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

ANNUAL REPORT

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	43470	22000	65470	0	65470
2022-23	65470	22250	87720	0	87720

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की वसूली न करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन, अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹4000/- की वसूली नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण कि तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	संदीप कुमार	26-04-2021	03-05-2021	200	शून्य	200
2	अभिषेक शर्मा	20-05-2021	07-06-2021	200	शून्य	200
3	चन्दन सिंह	13-06-2021	25-08-2021	200	शून्य	200
4	अमनदीप शर्मा	13-10-2021	30-10-2021	200	शून्य	200
5	अरुण कुमार	28-11-2021	13-12-2021	200	शून्य	200
6	विनय ठाकुर	25-10-2021	10-01-2022	400	शून्य	400
7	पंकज कुमार	13-12-2021	19-01-2022	400	शून्य	400
9	रिक्की शर्मा	18-02-2022	04-03-2022	200	शून्य	200
10	विकास शर्मा	20-04-2022	27-04-2022	200	शून्य	200

11	मोहित शर्मा	20-05-2022	25-05-2022	200	शून्य	200
12	रविंदर कुमार	20-07-2022	30-07-2022	200	शून्य	200
13	ललित मोहन	17-07-2022	01-09-2022	400	शून्य	400
14	तिलक राज	11-08-2022	03-09-2022	200	शून्य	200
15	विकास शर्मा	02-12-2022	26-12-2022	200	शून्य	200
16	सदीक मोहमद	17-01-2023	22-01-2023	200	शून्य	200
17	पवन कुमार	25-01-2023	08-02-2023	200	शून्य	200
18	प्रदीप शर्मा	09-03-2023	25-03-2023	200	शून्य	200
					कुल योग	**4000/-**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 124/2024 दिनांक 12.02.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में नहीं वसूली गई राशि की वसूली सम्बन्धित से रसीद संख्या 873904 से 873920 दिनांक 13/02/2024 द्वारा कर ली गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है तथा जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.72 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा

कुल ₹71531/- में से **₹17755/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा **शेष ₹53776/- (71531-17755)** की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127/2024 दिनांक 13/02/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या**	**माह**	**फर्म का नाम व पता**	**बिल संख्या व दिनांक**	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	27	03/22	सुशिल कुमार गांव सोहरला निचला	104,105 04/12/21	रेत, बजरी इत्यादि	53776
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	26	03/22	M/s Hi- Tech Computer, Bangana	267 14/03/22	कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामग्री	9980
3	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	31	03/22	ARYAN TRADERS BANGANA	2081 10/03/2022	स्टेशनरी	1650
4	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	47	09/22	ARYAN TRADERS BANGANA	2085 01/09/2022	स्टेशनरी	1650
5	15वें वित्तायोग	19	09/22	M/S ARYAN ENTERPRISES	925	सरिया	4475

				VPO DHUNDLA	01/09/2022		
						योग	**71531/-**

8.2 ₹0.48 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹**48000/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 13.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18 % GST सहित) (₹)
1	स्वः स्त्रोत व	46	09/22	3000 टाईल / पेवर @	36000

	अनुदान (समेकित)			12.00/- प्रति पेवर	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	46/1	09/22	1000 टाईल / पेवर @ 12.00/- प्रति पेवर	12000
				कुल योग	**48000/-**

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.12 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2022 व 09/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹11961/-** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125/2024 दिनांक 13.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी, जिसकी अब वसूली रसीद संख्या 873924 व 873925 दिनांक 14/02/2024 द्वारा सम्बन्धित से कर ली गई है, जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 65 दिनांक 14/02/2024 पर कर लिया गया, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई सम्पूर्ण राशि को सम्बन्धित विभाग में यथाशीघ्र जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

9.1 ₹0.22 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 03/2022 व 09/2022 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अंतर्गत **निम्न विवरणानुसार ₹21900/-** की सामान्य व निर्माण सामग्री (रेत, बजरी इत्यादि) का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए समान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था :-

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	31 03/22	2081 10/03/2022	ARYAN TRADERS BANGANA	स्टेशनरी	1650
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	49 09/22	84 29/08/2022	RAKESH KUMAR LATHIANI	रेत 6.5 घन मीटर बजरी 6 घन मीटर	20250
					योग	**21900/-**

उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 128/2024 दिनांक 13/02/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मलांगड़ के ध्यानार्थ लाया गया | जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है | अत: वांछित

अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 निर्माण कार्य पर ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 09/2022 में **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य **C/O NARI SHASHAKTIKARAN KENDER IN VILL. SOHARI** के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण पंचायत द्वारा ₹**5475/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (वर्ग मीटर)**	**सीमेंट (बैग)**
30827 20	Plaster15mm (Rough side) 1:5	90.96	9.27
20	Sand Filling	2.74	0.98
21	White glazed tiles 6MM Thick 1:3	44.22	9.41
		योग	**19.66**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 19 द्वारा जारी / खपत मात्रा		**35**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**15**
	क्रय दर		365.02 प्रति बैग
	अधिक भुगतान(15×365.02)		**5475/-**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129/2024 दिनांक 13/02/24 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 46 दिनांक 14/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 873923 दिनांक 14/02/2024 द्वारा सम्बन्धित से कर ली गई है तथा जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 65 दिनांक 14/02/2024 पर अंकेक्षण दौरान कर ली गई है|

9.3 अग्रिम राशि ₹1.57 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के क्रम संख्या 11 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा को सीमेंट के क्रय हेतू **सलंग्न परिशिष्ट घ अनुसार** ₹**342973.89** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.23 तक उक्त राशि में से ₹**186026.89** का समायोजन ही हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन से उक्त राशि में से असमायोजित राशि ₹156947 को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 45 दिनांक 14/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रज़िस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2024 दिनांक 09.02.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 44 दिनांक 14/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1711 – 1715 का० / 50 30 MAR 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)98 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मलांगड, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का० / 50

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 4 में संदर्भित**

ग्राम पंचायत मलांगड, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग (3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष (5-6)**
1	2021-22	1106139	3887534	4993673	2625283	2368390
2	2022-23	2368390	5644879	8013269	4413392	3599877

पंचायत स
ग्राम पंचायत, मलांगड़
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत मलांगड, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (14वें वित्तायोग सहित समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	789737	1878109	2667846	1305126	1362720
2	2022-23	1362720	2155765	3518485	2737760	780725

15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	316402	823325	1139727	134057	1005670
2	2022-23	1005670	2363798	3369468	550316	2819152

मनरेगा की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	0	1186100	1186100	1186100	0
2	2022-23	0	1125316	1125316	1125316	0

पंचायत स
ग्राम पंचायत मलांगड़
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 का अंतशेष	3599877.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3324021.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	00.00
4)	**योग (2+3)**	**3324021.00**
5)	**अन्तर (1-4)**	**275856.00**

पंचायत [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख. [illegible] जि. [illegible] (हि.प्र.)

21

-19-

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.22 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB BANGANA	20034024966	503389.00
	KCCB BANGANA	50067066586	1037.00
	KCCB BANGANA	50074310855	443.00
	PNB BANGANA	6809001700019890	2819152.00
		योग	**3324021.00**
2		**हस्तगत राशि**	**00.00**
		योग (1+2)	**3324021.00**

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत, मलांगढ़

वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

22

~~20~~

परिशिष्ट 'ख'   पैरा संख्या 7.1 क में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	43470	22000	65470	0	65470
2022-23	65470	22250	87720	0	87720

पंचायत स...
ग्राम पंचायत, मलांगड़
वि.ख. ऊना जि. ऊना (हि.प्र.)

पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

परिशिष्ट 'ग'

ग्राम पंचायत मलांगड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना													
क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयल्टी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	27	Mar-22	निर्माण लिंक रोड ननावीं से नरहू	104	04-12-2021	सुशिल कुमार गांव सोहरला निचला	SAND	10	1.62	16.2	80	1296
								STONE	2.66	2.24	5.9584	80	476.672
2								AGG.	13	1.52	19.76	80	1580.8
3	मनरेगा	66	Mar-22	निर्माण वाटर टैंक संतोष कुमार	1066	26-03-2022	यथोपरि	SAND	5	1.62	8.1	80	648
4								AGG.	5	1.52	7.6	80	608
5	मनरेगा	71	Mar-22	निर्माण रिटेनिंग वाल श्रीमती सुषमा देवी	68	26-03-2022	राकेश कुमार गांव लठियानी	SAND	5	1.62	8.1	80	648
6								AGG.	5	1.52	7.6	80	608
7	मनरेगा	79	Mar-22	निर्माण रिटेनिंग वाल श्री विजय कुमार	76	26-03-2022	राकेश कुमार गांव लठियानी	AGG.	6	1.52	9.12	80	729.6
8								SAND	5	1.62	8.1	80	648
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	48	Sep-22	मुरम्मत कुआं रमेश चन्द सपुत्र श्री ख़ुशी राम	115	15-08-2022	सुशिल कुमार गांव सोहरला निचला	SAND	3	1.62	4.86	80	388.8
10								AGG.	3	1.52	4.56	80	364.8
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	49	Sep-22	निर्माण लिंक रोड गांव सरसौली	84	29-08-2022	राकेश कुमार गांव लठियानी	AGG.	6	1.52	9.12	80	729.6
12								SAND	6.5	1.62	10.53	80	842.4
												योग	**9568.672**
												25% पेनल्टी	2392.168
												कुल योग	**11960.84**

पंचायत स
ग्राम पंचायत, मलांगड़
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

24

परिशिष्ट 'ध'   पैरा संख्या 1.3 में सन्दर्भित

दिनांक 31.03.2023 तक समायोजन हेतु शेष जारी अग्रिम राशि का विवरण

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनाक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि	दिनांक 31/03/23 तक समायोजित राशि	दिनांक 31/03/23 तक समायोजन हेतु शेष राशि
1	मनरेगा	56721 29/09/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	342973.89	186026.89	156947
				योग			

पंचायत स
ग्राम पंचायत, मलंगढ़
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

25

23